न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–110 / 2021 दायर दिनांकः 05.08.2021

GCMS NO:- 2021/213

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामकरण पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
2. रामकिशन पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कमलेश पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
2. कमला पुत्री मोती पत्नी गिरिराज जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल निवासी बलदेवपुरा जिला बून्दी।
3. गोपाल पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
4. जगदीश पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
5. धन्नालाल पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
6. प्रेम पुत्री धूल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल पत्नी दुर्गालाल निवासी बम्बूली तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
7. मंगला पुत्र धूल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
8. ममता पुत्री मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल पत्नी कैलाश निवासी ताकला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
9. रघुवीर पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
10. रामकरण पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
11. संतरा पुत्री मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल पत्नी रामधन निवासी भवानीपुरा तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
12. सम्पत पत्नी मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
13. हेमराज पुत्र धूल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
14. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

पक्षकार प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तहसील नैनवां के प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 196 की खसरा सं. 1134 रकबा 0.4611 हेक्टेयर,खसरा सं. 1139 रकबा 0.3155 हेक्टेयर,खसरा सं. 1140 रकबा 0.3560 हेक्टेयर,खसरा सं. 1141 रकबा 0.0485 हेक्टेयर, खसरा सं. 1142 रकबा 0.3721 हेक्टेयर, खसरा सं. 1143 रकबा 0.2427 हेक्टेयर, खसरा सं. 1144 रकबा 0.4207 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.2166 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि में काश्त करने के लिए भूमि खसरा संख्या 1142,1143,1144 पर आने जाने के लिये 12 फूट चौडा रास्ता ग्राम सीसोला से महावीरपुरा जाने वाले खसरा संख्या 1126 में होकर खसरा संख्या 1148 की पूर्वी मेर के सहारे होकर खसरा संख्या 1144 पर पहुँचता है। इस रास्ते को परिशिष्ट क में लाल रंग से दिखाया गया है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि पर आते जाते है व ट्रेक्टर ट्रोली कृषि उपज लाते ले जाते है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

लाने ले जाने के लिए परिशिष्ट क में लाल रंग से दर्शाये गये स्थान पर 12 फूट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में तथा मौके पर कायम करवायें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट ''क'' ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉं की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1124 में से 18*1 गटठा, खसरा संख्या 1125 में से 18*1 गटठा, खसरा संख्या 1126 में से 10*2 गटठा,खसरा संख्या 1148 में से 20*2 गटठा भूमि में से होकर रास्ता दिया जाना उचित है। जिसे प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है। इसके अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सीसोला में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तहसील नैनवां के प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 196 की खसरा सं. 1134 रकबा 0.4611 हेक्टेयर,खसरा सं. 1139 रकबा 0.3155 हेक्टेयर,खसरा सं. 1140 रकबा 0.3560 हेक्टेयर,खसरा सं. 1141 रकबा 0.0485 हेक्टेयर, खसरा सं. 1142 रकबा 0.3721 हेक्टेयर,खसरा सं. 1143 रकबा 0.2427 हेक्टेयर, खसरा सं. 1144 रकबा 0.4207 हेक्टेयर पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 1124 में से 18*1 गटठा, खसरा संख्या 1125 में से 18*1 गटठा, खसरा संख्या 1126 में से 10*2 गटठा,खसरा संख्या 1148 में से 20*2 गटठा भूमि परिशिष्ट "अ" में प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवाँ (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:44:58 IST
Reason: SelfAttested